FORM No. III

APP-A
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बा अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डल

छोगा माली बनाम लादुलाल माली [कौरा]

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा नम्बर 84 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-6-20	प्रकरण प्रस्तुत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सीड़ियास तहसील माण्डल के आराजी नं. 99, 99/2, 100, 101, 102, 103, 105, 116 कुल किता 08 कुल 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी एक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग-उपभोग कर रहा है। परन्तु विपक्षीगण 01 लगायत 12 प्रार्थी की आराजियात पर कब्जा करने व उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न एंव जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगण 01 लगायत 12 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि प्रार्थी को बेदखल नही करे एंव उसके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे व न डलवाएं, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। मैने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सीड़ियास तहसील माण्डल के Sd/- उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी सं. 99, 99/2, 100, 101, 102, 103, 105, 116 कुल किता 08 कुल रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे बाधा नहीं डाले न डलवाएं मौके की यथास्थिति रखने हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 13.8.20 तक जारी की जाती है। धारा O-39-R-3 की पालना हो। पत्रावली दिनांक 13.8.20 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	
19.6.20	वकील अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 12 की ओर से एक शीघ्र सुनवाई का प्रा. पत्र पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पक्षकारान् को सूचित करने हेतु सम्मन नोटिस पेश हुए जिसे जारी किये गये। वास्ते पत्रावली मे देखने तामिल हेतु नियत दिनांक 26.6.20 को पेश हो।	
26.6.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। P.O. सा. अवकाश पर होने से वास्ते पत्रावली मे सुनवाई हेतु नियत दिनांक 9.7.20 को पेश हो।	
9.7.20	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रतिवादी द्वारा के शीघ्र सुनवाई का जवाब वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जिसे शा. प० किया जाकर एक प्रति विपक्षीगण के अधिवक्ता को दिलायी गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज पेश किये गये जिसे शा० प० किये गये। प्रतिवादी का शीघ्र प्रा. पत्र स्वीकार किया गया। उभयपक्षो की बहस सुनी गई। वास्ते पत्रावली विपक्षीगण के जवाब/बहस हेतु नियत दिनांक 16.7.20 को पेश हो।	

ना इस तामील ी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

2.? पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गई, धारा 0.39 R.3 की पालना मे 30 दिवस की अवधि 18.7.20 को होने मे है। वकील प्रार्थी ने जवाब के अध्ययन हेतु अवसर चाहकर बहस हेतु समय की मांग की, वकील प्रार्थी को बहस हेतु अवसर दिया जाता है, वास्ते पत्रावली उभयपक्षो की बहस हेतु नियत दिनांक 22.7.20 को पेश हो।

2-7-20 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र मंगवाये जाने मौका रिपोर्ट हेतु पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि विपक्षीगण अधिवक्ता को दिलायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने दलील दी कि आराजी नं. 101 मेरी खातेदारी है, विपक्षीगण अपनी आराजी पर दोनो साईड पर पर स्थित रोड से आते-जाते है इनका मेरी निजी आराजी नं. 101 से कोई लेना देना नही है। मौका कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवाई जाकर इनके आने-जाने का रास्ता है या नही। इसका निर्णय किया जा सकता है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने नक्शा रिकॉर्ड के आधार पर दलील दी कि रिकार्ड मे आराजी नं. 101 गै.मु. रास्ता है जो पूर्वजो के समय से ही शामलाती आराजी नं. 106 गै.मु. चाह तक काम लिया जाता रहा है। इन्होने रास्ते सहित आराजी नं. 106 के अधिकांश भाग पर अतिक्रमण कर लिया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से हमारी आराजियात एंव शामलाती आराजी नं. 106 पर आने जाने की स्थिति स्पष्ट होकर गै.मु. रास्ता आराजी नं. 101 है। इसलिए मौका रिपोर्ट मंगवाने जाने का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैंने उभयपक्षो की बहस सुनी, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया जिसके अवलोकन से प्रकरण मे अप्रार्थीगणो के आने जाने के रास्ते होने या न होने के साक्ष्य जुटाने हेतु प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने जाने के आवेदन की आवश्यकता नहीं होकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर एक प्रति अप्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलायी गई, उभय पक्षो की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 23.7.20 को पेश हो।	
23.7.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रा.पत्र के बिन्दुओ मे दोहराते हुए अपनी एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद-पत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने की दलील दी। जब कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि आराजी नं. 106 शामलाती गै.मु. चाह है जिस पर वर्षों से हम आने-जाने के लिए गै.मु. रास्ता आराजी नं. 101 का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है वहीं से होकर हम अपनी आराजियात पर आ जा रहे है इन्होने शामलाती आराजी नं. 106 के साथ-साथ गैर मु. रास्ता आराजी नं. 101 पर अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिया है अभी बुवाई का मौसम चल रहा है जिस कारण हमारी शामलाती आराजी नं. 106 एंव वहां से हमारी आराजियात पर आने-जाने की अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रचलित गै.मु. रास्ता आराजी नं. 101 को अवरुद्ध कर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली है। धारा 39 R.3 C.P.C. की पालना मे एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

का निस्तारण किया जाना जरूरी है विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारीज फरमाया जाकर अप्रार्थीगणों को न्याय दिलाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया तथा पक्षकारान् की बहस पर मनन किया, आराजी नं. 106 के उपयोग-उपभोग के लिए प्रार्थी की खातेदारी में स्थित आराजी नं. 101 गै. मु० रास्ता को प्रचलित रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते रहे है, अप्रार्थीगणों का इस शामलाती आराजी पर आने जाने का इस प्रचलित मार्ग के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगणों की अत्यन्त आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए प्रचलित रास्ते की आराजी नं. 101 गै. मु० रास्ता पर जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जाता है तथा अन्य आराजियात नं. 99, 99/2, 100, 102, 103, 105, 116 पर जारी एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद पत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.07.27 16:42:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: